International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 03(II), July - September, 2024, pp. 107-112

मध्यप्रदेश में संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

रामसेवक बंशकार*
डॉ. एस.के. खटीक**

सार

लाड़ली लक्ष्मी योजना सर्वप्रथम मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2 मई 2007 से संचालित की गई है इस योजना के अन्तर्गत लाड़ली बालिकाओं का चहुमुखी विकास हुआ सरकार इस योजना के अन्तर्गत बालिकाओं के उत्थान के लिये कई कार्यक्रम संचालित करती है। जैसे प्राथमिक, उच्च शिक्षा एवं छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रम, भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध एवं वैवाहिक कार्य हेतु 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के कारण मध्यप्रदेश में महिलाओं की सुदृढ़ स्थिति हुई क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र, स्वस्थ्य के क्षेत्र एवं लिंग अनुपात एवं काफी सुधार हुआ। आज महिलायें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं एवं प्रगति कर रही हैं। जिसमें लाड़ली लक्ष्मी योजना की अहम भूमिका है। परंतु शोध विषय के अध्ययन में ली गई परिकल्पना से ये सिद्ध हो रहा है कि महिलायें सभी जागरूक हो रही हैं। जिसके कारण पंजीकृत बालिकाओं की संख्या बढ़ रही है। परंतु सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली राशि में कम बढ़ोत्तरी हो रही है जो कि स्टूडेन्ट टी परीक्षण के माध्यम से सिद्ध हुई है।

शब्दकोशः *लाड़ली लक्ष्मी योजना, हितग्राही, अनुदान की राशि।*

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2 मई 2007 को लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज के नकारात्मक नज़रिया में बदलाव लाना है। इसके अतिरिक्त गरीब बालिकाओं का पुनर्विकास किया जाये साथ में लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शिक्षा स्तर में सुधार तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना था। इस योजना की सफलता से अन्य राज्यों ने भी बालिकाओं के उत्थान के लिये इस अपनाया और लागू किया है। यह योजना बालिकाओं के सशक्तिकरण पर केन्द्रित है और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की पहल करती है। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड सभी बालिकाओं का शिक्षा खर्च के साथ सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि उनका परिवार उन्हें स्कूल भेजने में सक्षम हो सके। हालांकि जो बालिकायें स्कूल छोड़ देती है। जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता और इस योजना में बालिकाओं की शादी के लिये आवेदक परिवार को एक लाख सरकार प्रदान करती है और इस योजना में 18 वर्ष की आयु से पहले विवाहित बालिकाओं को इस योजना के तहत लाभान्वित नहीं किया जाएगा।

* शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
** प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।

यह योजना 2 मई 2007 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरूआत की गई थी यह योजना केवल मध्यप्रदेश में तो चल ही रही है इसके अलावा अन्य राज्यों में भी चलाई जाने लगी है जैसे – उत्तरप्रदेश, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखण्ड में सक्रिय है। यह योजना गैर–कर भुगतान करने वाले परिवार और महिला के 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद पैदा हुई बच्चियों को लाभ देती है। इस योजना के लागू होने के बाद से समाज में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक नज़रिया दिखाई दे रहा है।

बालिकाओं की शिक्षा और शादी के लिये नगद राशि की सहायता के साथ परिवार पर बोझ के रूप में बालिकाओं की छवि भी तेजी से बदल रही है। इस शोध पत्र के अध्ययन से इस योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन से यह पता लगा रहे है कि इस योजना का प्रभाव समाज में बालिकाओं पर क्या हुआ है तथा सरकार द्वारा इस योजना से बालिकाओं के जीवन पर क्या असर पड़ा आदि तथा सरकार इस योजना को सफल करने में कितना सफल हुई है आदि बातों को ध्यान में रखकर यह शोध लिखा गया है।

शोध विषय के अध्ययन का औचित्य

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निर्धन वर्गो की आर्थिक सहायता के लिये योजनाये चलाया जा रही है। उनमें से एक योजना लाड़ली लक्ष्मी योजना है। जो कि इस योजना के अंतर्गत लड़कियों के उत्थान के लिये और भ्रूण हत्या को रोकना, मुक्त शिक्षा रोजगार एवं वयस्क होने पर 2 लाख रूपये की राशि चैक के माध्यम से दी जाती है। यह योजना निर्धन परिवारों के लिये करागार साबित हो रही है। क्योंकि निर्धन परिवार अपनी बालिकाओं को उच्च शिक्षा सरकार की सहायता से दी जा रही है। जिससे प्रदेश में लड़कियों शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। साथ ही रोजगार के क्षेत्र में आगे आ रही है। यह लाड़ली लक्ष्मी योजना के कारण ही संभव हो पा रहा है। अतः यह शोध विषय के अध्ययन में लाडली लक्ष्मी योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा रहा है।

शोध साहित्य का पुर्नअवलोकन

रमा सोनी (2018) – "इन्दौर जिले की बालिकाओं के शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास के सन्दर्भ में लाड़ली लक्ष्मी योजना की प्रभावशीलता का अध्ययन" – वर्तमान समय में बालिकाओं की संख्या दिन–प्रतिदिन कम होती जा रही है। यह हम सभी के लिये चिन्ता का विषय है। बालिकाओं की घटती संख्या के कारणों में परम्परागत रूढ़ीवादी विचार, धार्मिक रिती–रिवाज, विवाह में दहेज की समस्या, स्त्रियों को पराया धन समझा जाना आदि प्रमुख है। इसके साथ ही वर्तमान समय में कन्या भ्रूण हत्या का महापाप भी समाज में तेजी से अपना पैर जमा चुका है। जिसके द्वारा बालिकाओं को जन्म लेने के पूर्व ही अमानवीय तरीके से मार दिया जाता है। बालिकाओं के प्रति होने वाले इन अत्याचारों को दूर करने एवं बालिकाओं के अभिभावकों की परम्परागत मानसिकता वाली सोच में परिवर्तन करने के प्रयास समाजसेवी संगठनों एवं सरकारों द्वारा किये जाते है। इसी संदर्भ में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बालिकाओं के उत्थान से सम्बंधित विभिन्न योजनाओं को प्रदेश भर से लागू किया जिसके आशानुकूल परिणाम दिखाई दे रहे है। आपके द्वारा प्रारम्भ की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना को देश में लागू किया गया है। बालिकाओं के उत्थान से संबंधित विभिन्न योजनाओं ने ही मुझे इसे शोध कार्य करने हेतु प्रेरित किया।

डॉ. जया कैथवास (2022) – "मध्यप्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा का मूल्यांकन एवं प्रभाव" – किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में वहा की शिक्षा व्यवस्था का अहम योगदान होता है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही भारत की शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत प्रारंभ से ही क्रियाशील रहा है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। समाज और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। समाज के लोग नैतिक मूल्यों का विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। जब मनुष्य में मन कर्म एवं वचन से संस्कृति की रक्षा के भाव जागृत होते है। तब ही समाज और राष्ट्र का चहुमुखी विकास हो पाता है। इसीलिये शिक्षा को मानव समाज और राष्ट्र के सर्वांग्रीण विकास कारण माना जाता है।

मध्यप्रदेश में बालिका शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। जो वर्तमान में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करती है। इन योजनाओं में गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, कस्तूरवा गांधी बालिका विद्यालय, शासकीय विद्यालयों में गणवेश विलग, मध्यान्ह भोजन, सर्वशिक्षा अभियान आदि प्रमुख है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बालिका विकास एवं शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाओं के संचालन के पश्चात भी हम पाते है कि बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति में प्रचुर मात्रा में असमानताये विद्यमान है। मध्यप्रदेश के कई जिले अभी ऐसे है। जिसमें बालिकाओं की शैक्षणिक स्थित बालकों की तुलना में अत्यन्त ही पिछड़ी हुई स्थिति में है। प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास यिका गया है।

शोभा सूरी (2023) – नीति निर्माण के केन्द्र में बालिकायें – मध्यप्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी योजना की सफलता का मूल्यांकन – भारत सहित कई देशों में बेटो की प्राथमिकता देने से इन भौगोलिक क्षेत्रों में लिगाचुपात में काफी प्रतिकूल स्थिति पैदा हुई है। भारत में 2019–21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जन्म एवं समय लिंगानुपाल प्रति 1000 पुरूषों पर 909 महिलाये है। यह लेख मध्यप्रदेश राज्य में लाड़ली लक्ष्मी योजना कार्यक्रम की जांच करता है। जिसका उद्देश्य बालिकाये का पालन–पोषण करने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 2007 में शुरू की लाड़ली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग चयनात्मक गर्भपात की घटनाओं को रोकना वाल विवाह को हतोत्सहित करना और बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना है। यह लेख एक साहित्य सर्वेक्षण लाड़ली लक्ष्मी योजना की सरकारी प्रबंधन सूचना प्रणाली के बेटा के विश्लेषण साथ ही राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के क्रमिक दौर के जिला स्तरीय सर्वेक्षण आंकड़े पर आधारित है।

शोध विषय के अध्ययन के उद्देश्य

शोध विषय के अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित है।

- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना की अवधारण का अध्ययन करना।
- मध्यप्रदेश में संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना का विश्लेषणात्मक योजना।

शोध विषय के अध्ययन के परिकल्पना

इस शोध विषय के अध्ययन में ली गई शून्य परिकल्पना इस प्रकार है :–

- लाड़ली लक्ष्मी योजना में सरकार द्वारा स्वीकृत की गई राशि एवं व्ययों की गई राशि में अध्ययन अवधि के दौरान कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विषय के अध्ययन की शोध संरचना

शोध कार्य को करने के लिये समंको एवं साहित्यों की आवश्यकता पड़ती है। बिना समंको एवं साहित्य के अभाव में शोध कार्य का आगे बढ़ना समंक नहीं है। इसीलिये शोध अध्ययन के लिये शोध एवं साहित्य का अधिक महत्व है। शोध कार्य के लिये द्वितीयक समंको का उपयोग यिका जा रहा है। जिसके अन्तर्गत प्रकाशित विषय से संबंधित शोध साहित्य के आधार पर शोध कार्य का निस्पतन किया गया है। शोध संरचना के अन्तर्गत मुख्य रूप से मध्यप्रेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। लाड़ली लक्ष्मी योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा रहा है। इस योजना का प्रभाव प्रदेश में क्या पड़ा आदि।

शोध विषय के अध्ययन की सीमाऐं

शोध विषय के अध्ययन की सीमायें निम्नलिखित है :–

- पर्याप्त समंक एवं साहित्य का अभाव है।
- यह शोध पत्र में द्वितीयक समंको की विश्व स्नीयता अंकेक्षण पर निर्भर करती है।
- शोध अध्ययन द्वितीयकों समंको पर आधारित है।

मध्यप्रदेश में संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 मई 2007 को शुरू की। यह योजना महिला सशक्तिकरण की राह में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना बालिका सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिखने जा रही थी। रायसेन जिले के गौहरगंज एक छोटा सा कस्बा गवाह बना उन ऐतिहासिक पलों का जहाँ से एक इतिहास बनाने वाली यात्रा शुरू हुई, उस दिन जनसैलाब उमड़ा जा रहा था, लाड़ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ था। इस योजना में यह बताने की कोशिश है कि महिलायें क्षमताओं का अनंत भंडार हैं। परन्तु कुछ सामाजिक कुरीतियों ने उनके मार्ग को अवरूद्ध किया है। फिर भी जब उन्हें अवसर मिला है, उन्होंने एक इतिहास रचा है। प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के लिये दृढ़ संकल्पित हैं। उनके नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग निरन्तर प्रयासरत है। इस योजना के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बालिका शिक्षा, परिवार नियोजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आम जनता का ध्यान आकर्षित हुआ है। लाड़ली लक्ष्मी योजना अब गाँव–गाँव तक पहुंच चुकी है। इस योजना का लाभ हर जरूरतमंद परिवार को मिल सके इसलिये इस योजना में समय–समय पर बदलाव कर इसे आसान बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 43 लाख से अधिक बेटियां लाड़ली लक्ष्मी बन चुकी हैं। महिला एवं बाल विकास का यही प्रयास है कि शिशु लिंग असमानता को दूर करके बालिका शिक्षा, स्वस्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन समय समय पर किये जा रहे है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से यह बहुआगामी रणनीति कारगर होती दिखाई दे रही है।

इस योजना में बालिकाओं को वित्तीय सहायता के रूप में रूपये 1,43,000/– का पासपोर्ट बनाया जाता है। इस योजना में बच्ची के जन्म से लेकर विवाह तक कुछ इस प्रकार की आर्थिक सहायता का प्रावधान है – जब बालिका कक्षा छठवी में प्रवेश शुल्क रू. 2000/–, कक्षा नवमी में प्रवेश पर रू. 4000/–, कक्षा ग्वारहवीं में प्रवेश पर रू. 6000/– तथा कक्षा बारहवीं में प्रवेश पर रू. 6000/– तथा जब बालिकायें महाविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने पर रू. 25,000/– प्राप्त होंगे। इसके पश्चात बालिका के विवाह के समय रूपये 1,00,000/– की एकमुश्त राशि दी जायेगी परन्तु रू. 1,00,000/– की राशि तब दी जायेगी जब बालिकाओं की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो गई हो, उसके बाद विवाह हो, तब दी जायेगी। इसके पहले विवाह होने पर यह राशि नहीं दी जायेगी। इस योजना में वही लोग लाभान्वित होंगे जो मध्यप्रदेश राज्य के मूल्य निवासी हों, और बालिका का जन्म 1 जनवरक 2006 के बाद हुआ हो और इस योजना का लाभ परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं तक सीमित है तथा इस योजना के तत कन्या गोद ली है तो इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ हेल्थकेयर या सरकारी पद पर होने पर इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस योजना के लिये आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, माता–पिता का पहचान पत्र, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेनकार्ड, बैंक पास बुक, पासपोर्ट आकार की फोटो यदि बालिका को गोद लिया है तो इसका प्रमाण पत्र और मोबाईल नंबर आदि दस्तावेज होने पर ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह दस्तावेज नहीं होने पर इस योजना से किसी भी प्रकार से सहायता नही मिलती है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही लाड़ली लक्ष्मी योजना के आंकड़े प्रदर्शित किये गये हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2012–13 से 2021–22 तक के आंकड़े जिसमें खर्च की राशि और हितग्राहियों या पंजीकृत हितग्राहियों को साफ प्रदर्शित की जा रही है और यह आंकड़े मध्यप्रदेश सरकार के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग से लिये गये हैं तथा यह विभाग सभी योजनाओं का आंकड़ा अपने पास रखता है। उसमें से एक योजना लाड़ली लक्ष्मी योजना है जिसकी तालिका इस प्रकार है :–

लाड़ली लक्ष्मी योजना में खर्च की राशि एवं हितग्राहियों की संख्या

(रूपये लाखों में)

वर्ष	खर्च की राशि (रूपये)	हितग्राही (पंजीकृत)
2012–2013	89724	318912
2013–2014	81628	280585
2014–2015	688	252745
2015–2016	137681	255206
2016–2017	88900	312758
2017–2018	94100	323558
2018–2019	80329	332595
2019–2020	71895	331549
2020–2021	136362	345064
2021–2022	106801	319102

स्त्रोत : महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र.

व्याख्या

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाड़ली लक्ष्मी योजना के आंकड़े इस तालिका में रखे गये हैं। जिसमें खर्च की राशि तथा जिन बालिकाओं को इस योजना में लाभ मिला है उन पंजीकृत या हितग्राही की संख्या के आंकड़े रखे है। सरकार ने 2012–13 में खर्च की राशि 89724 लाख थी और 2013–14 में 81628 लाख, 2014–15 में 688 लाख खर्च किये। 2014–15 में कमी दिखाई दे रही है पिछले सालों के खर्चों की तुलना में। 2015–16 में 1,37,681 लाख खर्च किये गये इस वर्ष काफी वृद्धि खर्चों में की गई है तथा 2016–17 में 88900 लाख रूपये खर्च किये जो पिछले वर्ष की तुलना में कमी देखी जा रही है तथा 2017–18 में 94100 लाख खर्च किये जो कि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखी जा रही है। 2018–19 में 80329 लाख रूपये जो पिछले वर्ष की तुलना में कमी हुई तथा 2019–20 में 71895 इस वर्ष भी कमी निरन्तर हो रही है। 2020–21 में 136362 लाख खर्च किये गये। यह पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि हो रही है तथा 2021–22 में 106801 लाख खर्च किये गये जो पिछले वर्ष की तुलना में कमी देखी जा रही है।

इस योजना में 2012–13 में 318912 पंजीकृत बालिकाओं को लाभ मिला है। 2013–14 में 280585 बालिकाओं ने लाभ लिया है और 2014–15 में 252745 बालिकाओं ने पंजीकृत (लाभ) लिया है। 2015–16 में 255206, 2016–17 में 312758, 2017–18 में 323558, 2018–19 में 332595, इन सभी वर्षों में पंजीकृत बालिकाओं की वृद्धि हुई है तथा 2019–20 में 331549, 2020–21 में 345064 पंजीकृत बालिकाओं ने लाभ लिया है। इस वर्ष वृद्धि देखी जा रही है तथा 2021–22 में 319102 में पंजीकृत बालिकाओं में कमी देखा जा रही है।

शोध विषय के अध्ययन में ली गई परिकल्पना का परीक्षण

शून्य परिकल्पना

लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत खर्च की गई राशि एवं हितग्राहियों की संख्या में शोध अध्ययन अवधि के दौरान कोई सार्थक अन्तर नही है।

r = +0.60

$$t=\frac{r}{\sqrt{1-r^2}}\ x\ \sqrt{n-2}$$

t = 2.115

t005 = 1.86

अवलोकन

शोध विषय के अध्ययन में ली गई शून्य परिकल्पना का परीक्षण माप 2.115 है। जबकि सारणीयन मान 1.86 है। अतः परिकल्पना माप सारणीयन मान से अधिक होने के कारण शोध अध्ययन में ली गई परिकल्पना अस्वीकार है तथा खर्च की गई राशि एवं हितग्राहियों की संख्या में अध्ययन अवधि के दौरान अन्तर है क्योंकि खर्च की गई राशि प्रतिवर्ष अधिक मात्रा में घट–बढ़ रही है। जबकि हितग्राहियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

शोध विषय के अध्ययन के विश्लेषण के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्यप्रदेश सरकार लाड़ली लक्ष्मी योजना को संचालित करने में सफल रही है। इस योजना के अन्तर्गत बालिकाओं के उत्थान के लिये कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जैसे – छात्रवृत्ति योजना, स्वास्थ्य योजना, उच्च शिक्षा एवं विवाहित कार्य हेतु सहायता राशि इत्यादि कार्यक्रम इस योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम चलाये जाते हैं। परन्तु ये देखा गया है। अध्ययन अवधि के दौरान यह पाया है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना के अतर्गत खर्च की गई राशि प्रतिवर्ष अधिक दर से घट–बढ़ रही है। परन्तु पंजीकृत हितग्राही की संख्या बढ़ रही है जिसके कारण शोध विषय के अध्ययन में ली गई परिकल्पना अस्वीकार है।

सुझाव

लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के उत्थान के लिये चलाई गई योजना है। इस योजना से बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई। साथ ही उच्च शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। लेकिन सरकार को हितग्राहियों की संख्या को देखते हुए खर्च हेतु राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिये जिससे कि बालिकाओं का और अधिक विकास हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सूरी शोभा (2023) ''नीति निर्माण के केन्द्र मं बालिकायें'' मध्यप्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी योजना की सफलता का मूल्यांकन।
2. सोनी रमा (2018) ''इंदौर जिले की बालिकाओं के शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास के संदर्भ में लाड़ली लक्ष्मी योजना की प्रभावशीलता का अध्ययन''।

वेबसाईट

3. www.mpwcdmis.gov.in

❖◆❖